

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/विकास/2012/855

दिनांक- 5/10/2


प्रति,

1. प्राचार्य/प्राचार्या
जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
2. विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 2013 का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,

1. विश्वविद्यालय द्वारा परिणियम 19 के अंतर्गत शिक्षक वरिष्ठता सूची 2013 का प्रकाशन किया जाना है। वर्ष 2012 की वरिष्ठता सूची का कृपया अवलोकन करें। जिन शिक्षकों के नाम गतवर्ष की वरिष्ठता सूची में नहीं थे और जिनकी इस वर्ष नई नियुक्ति हुई है, या जिनका कैंडिडेट में परिवर्तन हुआ है अथवा जो स्थानांतरित होकर या अन्य किसी कारण से आपकी संस्था में वर्ष 2012 में पदस्थ हुये हैं, उनके नाम वरिष्ठता सूची वर्ष 2013 में जोड़ने के लिये संलग्न प्रपत्र पर प्रतिपूर्ति कर विवरण दिनांक 15.10.2012 तक इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
2. संलग्न प्रपत्र पर दी गई जानकारी हेतु साक्ष्य भी संलग्न किये जावे। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय अध्यादेश 28(17) के अंतर्गत हुई है तो कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रति अवश्य लगाये तभी सम्बन्धित नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यदि अधूरी जानकारी दी जायेगी तो वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी। पूर्व में उक्त आशय की जानकारी यदि विश्वविद्यालय को भेजी गई हो, ऐसे प्रकरणों में भी पुनः जानकारी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हेतु भेजी जाना निर्धारित है।
3. पूर्व वर्ष की वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें।
4. गत वर्ष की वरिष्ठता सूची में यदि आपकी संस्था के किसी शिक्षक के कैंडिडेट अथवा नाम में त्रुटि हुई है तो उसकी सूचना दें तथा शिक्षकों की तत् सम्बन्धी आपत्तियों को सप्रमाण सत्यापन कर अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।
5. उन शिक्षकों का विवरण भी साथ में भेजें जिनके नाम गत वर्ष की सूची में जुड़े हैं और आपकी संस्था से स्थानांतरित हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अन्य किन्हीं कारणों से अब संस्था में नहीं है। इसके साथ ही नाम व श्रेणी को वरिष्ठता सूची में चैक कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार हेतु आवेदन करें। जानकारी के अभाव में यदि उनका नाम उक्त स्थान पर आने से रह जाता है तो वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. शिक्षकों की जन्मतिथि की जानकारी न होने पर वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा।
7. पत्र की एक प्रति सूचना पटल पर लगायें, जिससे किसी शिक्षक को आपत्ति न रहे।
8. उपरोक्त जानकारी समय पर प्राप्त न होने के कारण ज्येष्ठता सूची में यदि कोई त्रुटि या कमी रह जाती है तो उसके लिये प्राचार्य/सम्बन्धित शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

कुलसचिव

- प्रतिलिपि:-1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर चम्बल संभाग मोती महल परिसर, लश्कर (ग्वालियर)
2. श्री संजय भरतरिया, पत्र को वेबसाइट पर डाले।


सहायक कुलसचिव(विकास)

**APPLICATION FOR THE INCLUSION IN THE LIST OF
PRINCIPAL/PROFESSOR/READER/LECTURER**

To,
The Registrar
Jiwaji University,
Gwalior

Sir,

I request that my name be included in the seniority list of -----(Designation) Particulars of my service are as under:-

- 1- Name _____
- 2- Date of Birth _____
In words _____
- 3- Subject teaching _____
- 4- Post held at present _____
- 5- Date from which present post is held _____
- 6- Scale of pay in the present post _____
- 7- Academic Qualifications _____
- 8- Teaching Experience
Degree Classes-----Year-----Month-----
Post Graduate Classes-----Year-----Month-----
- 9- Teaching post held (chronologically) prior to appointment to present post .

Description of Post	Name of Institution in which post was held	Period		Scale of Pay
		From	To	

- (1) A Teacher in service under the M.P. Govt. need not give the name of various colleges to which he was Posted in any Particular capacity.
- (2) Change in the cadre (to reader, professor, principal) together with the date of appointment in each cases and the pay scale should be Clearly state.

I declare that the particulars given are correct.

Place-----
Dated-----

Signature of applicant
Full Name-----
Desination-----
College/Teaching department